



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: माशिबो/शैक्षिक/2026-27/2799-2813

दिनांक: 05-10-2026

—:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.09.2026 की अनुपालना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशा अनुरूप बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं एवं प्रवेशिका परीक्षा हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं :-

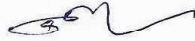
1. शैक्षिक सत्र 2026-27 से माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं एवं प्रवेशिका परीक्षाएं एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी। प्रथम परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी जो कि माह फरवरी-मार्च में आयोजित की जायेगी एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) माह मई में आयोजित की जायेगी।
2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि चाहे तो द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में अधिकतम तीन विषयों में अपने प्रदर्शन सुधार हेतु प्रविष्ट हो सकता है।
3. द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये मुख्य एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में विषयवार प्राप्त उच्चतर अंकों को सम्मिलित कर अंतिम परिणाम घोषित किया जायेगा।
4. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रविष्ट नहीं होगा चाहता है, तो उसका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र भी द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के उपरान्त मुख्य परीक्षा में उसके प्राप्तांकों के आधार पर जारी किया जायेगा।
5. माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी की अंकतालिका में पूरक अथवा अनुत्तीर्ण नहीं लिखा जायेगा।
6. वर्ष 2026-27 से माध्यमिक स्तर एवं प्रवेशिका परीक्षाओं की पूरक परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।
7. माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी एवं एक अन्य विषय में अनुत्तीर्ण छात्र को पूरक योग्य घोषित करने के स्थान पर किन्हीं भी दो विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक (33 प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को Essential Improvement (EI) हेतु द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रवेशाज्ञा दी जायेगी।
8. यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में अनुपस्थित रहा है अथवा न्यूनतम उत्तीर्णांक (33 प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे परीक्षार्थी का परिणाम "Essential Repeat" रखा जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी अगले सत्र की मुख्य परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित हो सकेंगे।
9. मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में विषयवार उच्चतर अंक प्रदान करने के पश्चात् भी यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक विषय में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक (33 प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका परीक्षा परिणाम "Essential Repeat" रखा जाएगा एवं ऐसे परीक्षार्थी को अगले सत्र की मुख्य परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों में (श्रेणी-1) ही प्रवेशाज्ञा दी जायेगी।
10. मुख्य परीक्षा का परफॉर्मंस Raj-c-Vault (राज-ई-वॉल्ट) में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उपयोग कक्षा 11 में अस्थाई प्रवेश के लिए किया जा सकता है। द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के पश्चात् अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा एवं सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
11. मुख्य परीक्षा में अधिकतम दो विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को **कक्षा 11 में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा** और द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के परिणाम के आधार पर उनका प्रवेश स्थायी किया जाएगा।

12. **द्वितीय बोर्ड (सुधारात्मक परीक्षा) में सम्मिलित /प्रविष्ट होने की आवश्यक अर्हताएँ :-**

- 1) सभी विद्यार्थियों के लिये प्रथम मुख्य परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।
- 2) कक्षा 10 एवं प्रवेशिका परीक्षा हेतु प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में चयनित विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा विषय एवं तृतीय भाषा/संस्कृतम् विषय (प्रवेशिका) में से अधिकतम किन्हीं तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति है। विद्यार्थी चाहे तो एक अथवा दो विषयों का भी चयन कर सकता है। विषय के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 3) व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रायोगिक परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक ही जोड़े जायेंगे। परन्तु प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाने वाले परीक्षार्थी द्वितीय बोर्ड में भी प्रायोगिक परीक्षा आवश्यक रूप से देंगे। वे चाहे तो इस विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा में भी सुधार कर सकेंगे।
- 4) मुख्य परीक्षा में अधिकतम किन्हीं दो विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने/अनुपस्थित अथवा एक विषय में अनुपस्थित एवं एक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को इन विषयों में द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में आवश्यक रूप से प्रविष्ट होना होगा। परीक्षार्थियों के सुविधार्थ मुख्य परीक्षा के परफोरमेन्स शीट में ऐसे विषयों के आगे "EI" (Essential Improvement) अंकित होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी चाहे तो उत्तीर्ण विषय में भी अपना प्रदर्शन सुधार हेतु बैठ सकता है परन्तु इन समस्त विषयों की कुल संख्या 03 से अधिक नहीं होगी। अर्थात् अनुपस्थित विषय, "Essential Improvement" विषय एवं उत्तीर्ण विषय जिसमें वह अपना प्रदर्शन सुधारना चाहता है, सभी मिलाकर कुल अधिकतम तीन विषयों में ही द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।
- 5) मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में परीक्षार्थियों का नामांक समान ही रखा जायेगा।
- 6) मुख्य परीक्षा में श्रेणी सुधार (श्रेणी-2) में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रविष्ट योग्य नहीं है, परन्तु इन श्रेणियों के परीक्षार्थी यदि अधिकतम दो विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम प्राप्त करता है/अनुपस्थित रहता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को केवल इन्हीं विषयों में द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी। ऐसे परीक्षार्थी उत्तीर्ण विषय का पुनः चयन नहीं कर सकते हैं।

13. **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना :-**

- 1) मुख्य एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) दोनों परीक्षाएँ उस शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जायेगी।
 - 2) मुख्य एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) दोनों परीक्षाओं में अध्ययन योजना व परीक्षा योजना समान रहेगी।
 - 3) आंतरिक मूल्यांकन मुख्य परीक्षाओं से पहले केवल एक बार आयोजित किया जायेगा। अंतिम परिणाम में वहीं अंक दिये जायेंगे।
 - 4) शाला द्वारा सत्रांक एक ही बार मुख्य परीक्षा के दौरान ही दिये जायेंगे। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के सत्रांक दोनों परीक्षाओं में विषयवार प्राप्त उच्चतर अंकों के अनुपात में दिये जायेंगे।
 - 5) द्वितीय बोर्ड (सुधारात्मक परीक्षा) के पश्चात् मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के विषयवार उच्चतर अंक लेते हुए अंतिम परिणाम तैयार किया जायेगा। सानुग्रह अंक मुख्य परीक्षा के अनुसार ही देय होंगे, किन्तु समेकित परिणाम में **Essential Improvement (I:I)** के स्थान पर **1st DIV, 2nd DIV, 3rd DIV, Pass** एवं **Essential Repeat (I:R)** आदि अंकित होगा।
14. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को उन विषयों में द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी, जिनकी परीक्षा तिथियाँ उनके खेल आयोजन की तिथियों/अवधि से मेल खाती हों एवं इसकी सूचना मय प्रमाण संबंधित शाला प्रधान



- के माध्यम से परीक्षा पूर्व बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे परीक्षार्थियों का उस सत्र का यह अंतिम अवसर होगा, इन परीक्षार्थियों का द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के चयनित सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि वह किसी एक विषय में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक (33 प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका परीक्षा परिणाम "Essential Repeat" (ER) रहेगा एवं उसे अगले सत्र की मुख्य परीक्षा में श्रेणी 01 में सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होना होगा।
15. CWSN विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएँ मुख्य परीक्षा के अनुसार ही द्वितीय बोर्ड (सुधारात्मक परीक्षा) में भी दी जायेगी।
 16. सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बोर्ड के परीक्षा नियम/उप नियमों के अनुसार घोषित किया जायेगा।
 17. संवीक्षा की सुविधा मुख्य परीक्षा व द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) दोनों में पृथक-पृथक देय है। सुधारात्मक परीक्षा के बाद परीक्षार्थी सुधारात्मक परीक्षा हेतु चयनित विषयों में ही संवीक्षा करा सकेगा।
 18. श्रेणी सुधार (श्रेणी-2) हेतु सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड की मुख्य परीक्षा के परीक्षा नियम 33, 34 के नियमानुसार प्रवेशाज्ञा अगले सत्र की मुख्य परीक्षा में ही दी जावेगी।
 19. संवीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थी यदि संवीक्षा उपरान्त द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) हेतु पात्रता रखता है तो उसे द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) अथवा विशेष सुधार परीक्षा आयोजित कर द्वितीय बोर्ड परीक्षा (सुधारात्मक परीक्षा) के नियमानुसार सुधार का अवसर दिया जायेगा।
 20. वर्ष 2028 की परीक्षा से कक्षा 10 एवं प्रवेशिका परीक्षा में श्रेणी-01 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को आगामी वर्ष में आंशिक विषयों में अंक सुधार (श्रेणी-06) में प्रवेशाज्ञा दिये जाने के नियम को विलोपित किया जाता है।
 21. मुख्य परीक्षा के शेष नियम/उप नियम पूर्वानुसार ही यथावत रहेंगे।
 22. उपरोक्त नियमों में बोर्ड स्तर पर संशोधन किए जा सकेंगे जो कि इस नियमावली का अंश समझे जाएंगे।

प्रतिलिपि : **मासिको/शैक्षणिक/2026-27/2799-2813 दिनांक: 05-10-26**

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय, बीकानेर
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
4. निजी सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
5. विशेषाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
6. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
7. संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
8. समस्त संयुक्त निदेशक
9. मुख्य परीक्षा नियंत्रक व निदेशक गोपनीय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
12. ए.सी.पी., माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें
13. सूचना पट्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
14. रक्षित पत्रावली


सचिव


सचिव